

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

2

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम तोरदा जमाबंदी सं. 2072-15 के खाता सं. 59, 60, 61, 325, 335 में दर्ज 143 खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/त्रुटीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं.	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
59	लक्ष्मीनारायण	59	लक्ष्मीनारायण	लक्ष्मीनारायण
60	पुत्र देवा जाति	60	पुत्र देवा जाति	पुत्र देवीलाल
61	कुम्हार सांढेह	61	कुम्हार सांढेह	जाति कुम्हार
143		143		सांढेह
325		325		
335		335		


वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. लक्ष्मीनारायण पुत्र देवा कुम्हार | लक्ष्मीनारायण |
| 2. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण कुम्हार | दिनेश कुमार |
| 3. जगदीश पुत्र रामलाल चमल | |
| 4. जगदीश चमल | |


रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्रामके राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।


 हस्ताक्षर पटवारी
 प०म०. लेखना

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।


 भू०अभिलेख निरीक्षक
 भू०अभिलेख निरीक्षक (पिडावा)
 25/05/2025

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम वीरदा के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

4
तहसीलदार/चाणम तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.) अमरनाथ सिंह
पिडावा जि. झालावाड (12/11/2025)

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 325

दिनांक : 06/10/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम वीरदा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार अमरनाथ सिंह की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अमरनाथ सिंह को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

अमरनाथ सिंह
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0